न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अन्तर सिंह नेहरा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00016

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

जेम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि. 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री राकेश पाटीदार पिता श्री बकोर पाटीदार निवासी वार्ड नं. 13 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम रतनपुरा पोस्ट आंजना जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमती गमीरी पाटीदार पत्नि श्री बकोर पाटीदार निवासी वार्ड नं. 13 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम रतनपुरा पोस्ट आंजना जिला बॉसवाडा।
3. श्री सुभाष लबाना पिता चतर सिंह लबाना निवासी वार्ड नं. 15 लबाना बस्ती, ग्राम चन्दरपुरा पोस्ट आंजना जिला बॉसवाडा।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 07–02–2020

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर–302004 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री राकेश पाटीदार पिता श्री बकोर पाटीदार निवासी वार्ड नं. 13 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम रतनपुरा पोस्ट आंजना जिला बॉसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2–श्रीमती गमीरी पाटीदार पत्निश्री बकोर पाटीदार निवासी वार्ड नं. 13 पाटीदार मोहल्ला, ग्राम रतनपुरा पोरट आंजना जिला बॉसवाडा(सहऋणी) एवं 3 श्री सुभाष लबाना पिता चतर सिंह लबाना निवासी वार्ड नं. 15 लबाना बस्ती, ग्राम चन्दरपुरा पोस्ट आंजना जिला बॉसवाडा (गारन्टर/अप्रार्थी) के खाते दिनांक 22–08–2019 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 648113 रू. (छः लाख अडतालिस हजार एक सौ तेरह रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्री राकेश पाटीदार की आवासीय सम्पत्ति जो ग्राम रतनपुरा, ग्राम पंचायत आंजना, पंचायत समिति अरथुना तहसील गढ़ी व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 1683 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2018 के अनुसार प्रार्थी Non-Banking financial institution Jumbo finvest (india) Ltd. को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 22-08-2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) उप पंजीयक गढी से पंजीकृत है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल उपस्थित नही हुए। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी/अरथुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि., 102, कंचन अपार्टमेंट, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राज.) को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 07-02-2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

7/2/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.02.11 17:00:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: